न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी : श्री हेमन्त स्वरूप माथुर , आर.ए.एस

अपील संख्या आर टी ए / 370 / 2017

उनवान

1. लूम्बा पिता हीरा गुर्जर निवासी झरडू का खेडा, पटवार हल्का परा, तहसील बदनोर जिला भीलवाडा

अपीलाण्ट

बनाम

1. जिला वन अधिकारी, वन कार्यालय भीलवाडा
2. रेंजर, रेंज कार्यालय, वन विभाग, बदनोर, तहसील बदनोर जिला भीलवाडा
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, बदनोर, तहसील बदनोर जिला भीलवाडा

रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
अपील विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, बदनोर के प्रकरण संख्या 367 / 2016 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 3.6..2017

अधिवक्तागण :–

1. श्री मुनीर गनी, अधिवक्ता अपीलार्थीगण
2. श्री ओम प्रकाश सोनी, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक 27.8.2019

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 / वादी ने अधीनस्थ न्यायालय में वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी ने सबरू खॉ पिता खुद्धाबक्ष मुसलमान निवासी बदनोर से साबिक आराजी नम्बर 863 / 509 रकबा 04 बीघा भूमि दिनांक 20.3.1993 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र 18,000 / –रूपये खरीदकर वादी ने खातेदार सबरू खॉ पिता खुद्धाबक्ष से कब्जा प्राप्त किया

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

जिस पर काबिज चला आ रहा है। साबिक जमाबंदी संवत 2036 से 2039 खाता संख्या 220 इन्तकालनम्बर 273 दिनांक 26.9.1982 को गैर खातेदारी से खातेदारी दर्ज हुई। जिस पर वादी का लगातार कब्जा चला आ रहा है मौके पर बाड डोल लगे हुए है व इन्तकाल नम्बर 385 दिनांक 4.5. 1993 से वादी के नाम खातेदारी से दर्ज कर तथा इन्तकाल नम्बर 03 से आराजी नम्बर 1115 रकबा 0.56 है0 आराजी नम्बर 1147 रकबा 0.08 है0 कुल किता 2 रकबा 0.64 है0 रकबा वादीके चालू खाते में दर्ज कर दिया व 0.22 है0 रकबा कम दर्ज कर दिया ।

2. वादी ने आधार वर्ष की जमाबंदी संवत 2053 से 2056 खाता संख्या 203 इन्तकाल नम्बर 03 दिनांक 15.6.1994 को दर्ज किया पुराना रकबा 04 बीघा के मुकाबले 0.22 है0 भूमि कम राजस्व रेकार्ड में दर्ज की व चालू रेकार्ड संवत 2069 से 2072 का प्राप्त किया । जिससे पता चला कि वादी के खाते में साबिक खाता संख्या 220 रकबा 4 बीघा के नया रकबा 0.86 है0 कायम न कर 0.64 है0 कायम किये व 0.22 है0 रकबा नये रेकार्ड में कम कर दिया जबकि मौके पर वादी के पास 04 बीघा पर कब्जा है व खाता संख्या 267 संवत 2069 से 2072 आराजी नम्बर 1114 रकबा 0.47 है0 वन विभाग के नाम गैर मुमकिन रास्ता दर्ज कर दिया जबकि वादी के खेतों के सहारे रास्ता अलग से दर्ज है और वन विभाग के नाम गलत दर्ज कर दिया । पुराने नक्शे पर नया नक्शा रखकर देखा जाये तो लगभग 1 बीघा भूमि वन विभाग के खाते से कम करके वादी के खाते मे दर्ज होनी चाहिये। जिसके अन्दर कुआँ भी खोद रखा है और भूमि का सुधार करके उपजाऊ बनाई है और अपने रकबे के चारों तरफ डोल पाल लगी हुई है । सेटलमेण्ट विभाग ने साबिक रेकार्ड की अनदेखी कर कब्जे की पुष्टि किये बिना वादी के खातेदारी की भूमि को वन विभाग के नाम दर्ज कर दिया

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

जो अधिकारों से परे जाकर विधि के प्रावधानों के विपरीत कृत्य किया जो निरस्त योग्य है। अतः वादी खिलाफ प्रतिवादी खाता संख्या 267 की आराजी नम्बर 1114 रकबा 0.47 है0 में से0.22 है0 रकबा वादी के कब्जे व खातेदार वादी को घोषित किया जाकर नया नम्बर मय लगान की तसरी के साथ खातेदार घोषणा व इन्द्राज दुरूस्ती की डिक्री प्रदान की जावे।

3. अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया एवं बाद विचारण अपीलाधीन निर्णय वादी का वाद पत्र खारिज किया । जिससे व्यथित होकर अपीलान्ट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

4. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

5. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय ने वादी का वाद विधिक प्रकिया अपनाये तनकियात कायम किये व साक्ष्य लिये बिना ही निर्णय एवं डिक्री पारित कर दी । राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय के आपके द्वार 2017 से कैम्प कोर्ट परा तहसील बदनोर मुकाम पर वाद बिना सुनवाई का अवसर दिये निर्णय पारित कर दिया । अपीलार्थी को अपीलाधीन निर्णय की जानकारी समय पर नहीं हो पाई । जानकारी होने पर अधिनस्थ न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत किया । नकल प्राप्त होते ही अविलम्ब अपील प्रस्तुत की । अतः अपील प्रस्तुत करने में हुई विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे।

6. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री विधि एवं तथ्यों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। उनका यह भी

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

निवेदन है कि अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी/वादी का वाद पत्र बिना विधिक प्रकिया अपनाये पारित किया है। जो विधिविरूद्ध होने से खारिज योग्य है।

7. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अपीलाधीन प्रकरण मे प्रतिवादी की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत किया गया उसके उपरान्त अधिनस्थ न्यायालय को तनकियात कायम कर उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर निर्णय पारित करना चाहिये था। परन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण को राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार 2017 कैम्प कोर्ट परा, तहसील बदनोर में रखकर निर्णय पारित कर दिया । अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर भी प्रदान नहीं किया गया है। नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त की पालना में उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर निर्णय पारित करना चाहिये था। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों की पालना नहीं कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो खारिज योग्य है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को निरस्त किया जावे एवं प्रकरण में अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर निर्णय पारित करने हेतु अधिनस्थ न्यायालय में रिमाण्ड किया जावे।

8. प्रत्यर्थी की ओर से योग्य राजकीय अधिवक्ता ने अपीलार्थी की अपील को मियाद के बिन्दु पर ही खारिज किये जाने का निवेदन किया । साथ ही अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को विधिसम्मत बताते हुए अपील अपीलार्थी खारिज किया जावे।

9. हमनें उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । अपीलार्थी ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत कर अपील अपीलार्थी अन्दर मियाद मानने का निवेदन किया ।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

अपीलार्थी ने अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने का जो कारण अंकित किया है वह सद्भाविक एवं संतोषप्रद होने के कारण अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार कर अपील अपीलार्थी अन्दर मियाद मानी जाती है।

10. अधिनस्थ न्यायालय में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र 22.1.2016 को पंजिबद्ध किया गया एंव प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं आगामी तारीख पेशी दिनांक 18.3.2016 नियत की गई। दिनांक 18.3.2016 को पीठासीन अधिकारी के अन्य राज्य कार्य में व्यस्त होने से पत्रावली में आगामी तारीख पेशी दिनांक 25.6.2018 नियत की गई। दिनांक 25.6.2016 को कोई आदेशिका नहीं लिखी गई । दिनांक 18.6.2016 को प्रकरण को न्याय आपके द्वार लोक अदालत 2017 कोर्ट केम्प मुख्यालय परा पर रखी गई एवं आगामी तारीख पेशी दिनांक 9.11.2016 नियत की गई। दिनांक 9.11.2016 को पत्रावली की आदेशिका में वादी की उपस्थिति दर्ज करते हुए जवाब हेतु अवसर चाहे जाने से अवसर दिया जाकर प्रकरण को आगामी तारीख पेशी दिनांक 8.3.2017 को नियत की गई। दिनांक 8.3.2017 को पीठासीन अधिकारी के अन्य राज्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली में आगामी तारीख पेशी दिनांक 7.6.2017 नियत की गई। नियत तारीख 7.6.2017 से पूर्व ही प्रकरण को दिनांक 3.6.2017 को राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट न्याय आपके द्वारा 2017 मे रखा गया । जहॉ पर प्रतिवादी की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत किया गया । अधिनस्थ न्यायालय ने अपनी आदेशिका में अंकित किया कि " पत्रावली का अवलोकन मनन किया, वादी द्वारा कब्जा सिद्ध नहीं कराया जा सका अब इस पत्रावली पर आगे कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं रहती है पत्रावली इसी स्टेज पर खारिज की जाती है। "

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

11. प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत जवाब दावे के आधार पर अधिनस्थ न्यायालय को चाहिये था कि वे प्रकरण मे जवाब दावा आने पर तनकियात कायम करते एवं उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उपलब्ध साक्ष्य, दस्तावेज के आधार पर तनकीवाईज गुणावगुण पर विस्तृत निर्णय पारित करते। अपीलाधीन प्रकरण में नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त की पालना में अपीलार्थी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया है। मूल वाद में उभयपक्ष के हक हितों का अंतिम तौर पर बाद साक्ष्य सुनवाई के निस्तारण किया जाता है। अपीलाधीन प्रकरण में अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं कर जो अपीलाधीन आदेश पारित किया है वह स्पीकिंग ऑर्डर की परिभाषा में नही आता है। अतः अपीलाधीन निर्णय का समर्थन नहीं किया जा सकता है।

12. अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 3.6.2017 को निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्ष को सुनवाई एवं साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान किया जाकर उपलब्ध साक्ष्य एवं दस्तावेजात के आधार पर गुणावगुण पर तनकीवाईज विस्तृत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 7-11-19 को उपस्थित रहें।

13. निर्णय आज दिनांक 27.8.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

27/8/19

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा